

वन विभाग, हरियाणा सरकार ।  
कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, अम्बाला शहर ।  
नजदीक उपायुक्त निवास, पुलिस लाईन, दूरभाष/फैक्स- 0171-2550916

क्रमांक: 934

दिनांक: 24/7/15

सेवा में,

नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (एफ0सी0)  
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
हरियाणा, पंचकूला।

विषय:

**Diversion of 0.0540 ha.(actually 0.0756 ha.) of forest land in favour of Executive Engineer, T.S Division Ambala City for erection of Sonta-Sonda Transmission for 66 KV S/Stn Majri forest Division and Distt. Ambala, Haryana.**

सन्दर्भ:

आपका पत्र क्रमांक 2372 दिनांक 14.07.2015. P-64

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि उक्त केस में यूजर एजेन्सी द्वारा Part-I online किया गया तो प्रस्तावित एरिया 0.0756 है0 दर्शाया गया लेकिन वन राजिक अधिकारी, अम्बाला द्वारा प्रस्तावित साईट्स का निरीक्षण किया गया तो उसमें कुछ रीच पर वन विभाग का एरिया नहीं था। इसलिए इस केस में वन विभाग का 0.0540 है0 एरिया ही प्रयोग किया जाएगा। इसलिए इस केस का diverted area 0.0540 ha. का केस तैयार करके आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था तथा इस केस में एरिया 0.0540 है0 ही समझा जाये। वन राजिक अधिकारी, अम्बाला द्वारा की गई निरीक्षण रिपोर्ट पत्र के साथ सलंगन भेजी जाती है।  
सलंगन/यथोपरि।

पृ0क्रमांक: 935

दिनांक: 24/7/15

एक प्रति वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल, हरियाणा, पंचकूला को उनके पत्र क्रमांक 2931 दिनांक 16.07.2015 के सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

वन मण्डल अधिकारी,  
अम्बाला वन मण्डल,  
अम्बाला।

48

वन विभाग, हरियाणा सरकार  
कार्यालय: वन राजिक अधिकारी, अम्बाला ।  
नजदीक उपायुक्त निवास, अम्बाला दूरभाष-01712550316

क्रमांक: A45/63

दिनांक 29-4-2015

सेवा में,

वन मण्डल अधिकारी,  
अम्बाला ।

विषय:-

**Diversion of forest land for erection of 66KV D/C Line LILO of 66Kv Sonta-sonda line for 66kv S/Stn Majri.**

संदर्भ:

आपके कार्यालय का पृ० पत्र क्रमांक 2851 दिनांक 13.02.2015 तथा पत्र क्रमांक 11 दिनांक 01.04.2015

उपरोक्त विषय पर आपको 66 के.वी डी/सी लाईन LILO 66 के०वी० सब स्टेशन सौंटा के लिए सौंटा से सौंडा तक बिजली की लाईन निकालने के लिए निम्नप्रकार से निरीक्षण करके आपको प्रयोग होने वाली वन भूमि तथा बाधक वृक्षों की मार्किंग सूचियां बनाकर निम्न प्रकार से संलग्न भेजी जाती है:-  
प्रयोग होने वाली भूमि तथा बाधक वृक्षों का विवरण:-

Sr. No	Name of village/Reach	Detail of area to be Diverted	Plantation Year / No. of Plants	No. of Trees/ Species	Remarks
1	Bhanokheri to Mohri Road Km 0-2	18x3 = 54 m2 18x3 = 54 m2	2013-14 / 14 No. Shisham	-	-
2	Teja Mohri Minor Km 5-8	18x3 = 54 m2 18x3 = 54 m2	-	3No. Euc.	मार्किंग सूचि साथ संलग्न है।
3	Ganda Nala - Ambala City	-	-	-	विभाग का कोई भी पौधारोपण व वृक्ष नहीं है।
4	Matehri to Lakhnaur Sahib Road Km 0-3	18x3 = 54 m2 18x3 = 54 m2	2013-14 / 10 No. Shisham	-	-
5	Bhanokheri Minor RD 5 to 7.5	18x3 = 54 m2 18x3 = 54 m2	-	1No. Musket	मार्किंग सूचि साथ संलग्न है।
6	Ambala Baroula Road Km 11-12	18x3 = 54 m2 18x3 = 54 m2	2013-14 / 18 No. Kadam	-	-

540 (m)

बाधक वृक्षों की मार्किंग सूचियां आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न भेजी जाती है। केस की मूल फाईल संलग्न भेजी जाती है। उपरोक्त क्षेत्रों में से गन्दा नाला नोटिफाईड नहीं है।

संलग्न/उपरोक्त

FCA  
30/4

वन राजिक अधिकारी,  
अम्बाला ।

29/2  
30/4/15